

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद सिरवी ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 70/2019

प्रार्थी

विप्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये

तहसीलदार समदड़ी

1.डूगरसिंह पुत्र मोड़सिंह

2.भीखसिंह पुत्र मोड़सिंह

3.जबरसिंह पुत्र मोड़सिंह

4.आदुसिंह पुत्र मोड़सिंह

5.चतरसिंह पुत्र मोड़सिंह

जाति पुरोहित निवासी सिणेर

तहसील सिवाना व जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम 1956


उपस्थित-1. पैरोकार सरकार,नायब तहसीलदार समदड़ी प्रार्थी की ओर से।

2. विप्रार्थी संख्या 02 उपस्थित।

3. एकतरफा-विप्रार्थी संख्या 1 व 3 से 5

आदेश


दिनांक- 16.8.19


उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं। कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैंड मोड्राइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटका मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 98 खसरा संख्या 343/130 रकबा 31-12 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शों लटका में खसरा संख्या 130/39,130/40,130/42 दर्ज होने के कारण राजस्व रिकार्ड एवं लटका नक्शों में एकरूपता नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा लटका नक्शों में दर्ज खसरा संख्या 130/39,130/40,130/42 के स्थान पर जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 343/130 दुरुस्ती करवाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है।


2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। और विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी संख्या 2 उपस्थित। और उक्त विप्रार्थी ने निवेदन किया गया, कि प्रार्थी पक्ष का आवेदन स्वीकार किया जाता है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। शेष विप्रार्थी के नोटिस तामील श्रेणी में प्राप्त हुए। जो विप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील होने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की ओर से डिजिटल नेशनल लैंड मोड्राइजेशन प्रोग्राम के अन्तर्गत जमाबंदी एवं नक्शा लटका मौका स्थिति के अनुसार राजस्व रिकार्ड दुस्ती का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत तहसील समदड़ी के राजस्व ग्राम फूलण के खाता संख्या 98 खसरा संख्या 343/130 रकबा 31-12 बीघा राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। लेकिन राजस्व नक्शा लटका में खसरा


उपखण्ड अधिकारी
सिन्धु (अ.सं.वेर)

संख्या 343/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/39,130/40 व 130/42 दर्ज है। जो अशुद्ध दर्ज हो रखा है, जिसके राजस्व रिकार्ड जमाबंदी एवं नक्शा लटढा में एकरूपता नहीं हैं। इस कारण नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/39,130/40 व 130/42 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 343/130 दर्ज किया जावे। रिकार्ड दुरुस्ती करने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/39,130/40 व 130/42 विलोपित करते हुए उसके स्थान पर खसरा संख्या 343/130 दर्ज करने का आदेश फरमावे।

4. हमने प्रार्थी पक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली के सलंगन राजस्व रिकार्ड एवं मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया और विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया। तहसीलदार समदड़ी की रिपोर्ट के अनुसार ग्राम फूलण तहसील समदड़ी की खसरा संख्या 343/130 रकबा 31-12 बीघा किस्म रेतली राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में दर्ज है। जबकि उक्त भूमि के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 343/130 दर्ज न होकर खसरा संख्या 130/39,130/40 व 130/42 अंकित है। इस प्रकार उक्त भूमि के जमाबंदी एवं लटढा नक्शा में एक समान खसरा संख्या दर्ज नहीं है। और राजस्व रिकार्ड में एकरूपता भी नहीं है। एवं हितवाद् काश्तकार के राजस्व रिकार्ड में एकरूपता होना भी जरूरी है। ताकि राजस्व रिकार्ड में एकरूपता बनी रहें। इस कारण उक्त भूमि के नक्शा लटढा में अंकित खसरा संख्या 130/39,130/40 व 130/42 विलोपित करते हुए जमाबंदी के अनुसार खसरा संख्या 343/130 नक्शा लटढा में दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, एवं ऐसा किये जाने से मौके की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। एवं


उपखण्ड अधिकारी
सिबाना (झड़मेर)

तहसीलदार समदड़ी में भी नक्शा लटढा में दुरुस्ती किये जाने की अगिशांणा की गई है। विप्रार्थी द्वारा भी प्रार्थी के आवेदन के संबध में सहमति पत्र पेश किया गया। जिसमें स्वीकार किया गया कि हमारे राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) के अनुसार नक्शा लटढा में खसरा नम्बर अंकित किये जाते हैं,तो हमें कोई आपर्ति नहीं है। इससे प्रतीत होता है। कि विप्रार्थी को प्रार्थी के आवेदन स्वीकार किये जाने की मौन स्वीकृति है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है,कि आवेदित प्रकरण के नक्शा लटढा में खसरा संख्या 343/130 दर्ज किया जाना न्यायोचित एवं विधि संगत है। ऐसी सूस्त में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

5.लिहाजा प्रार्थी का आवेदन राज्यहित की भावना को मददेनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम फूलण पटवार क्षेत्र सावंरड़ा तहसील समदड़ी के नक्शा लटढा में दर्ज खसरा संख्या 130/39,130/40 व 130/42 विलोपित करते हुए राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित खसरा संख्या 343/130 नक्शा लटढा में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी को आदेशित किया जाना है,कि तदनुसार राजस्व रिकार्ड (नक्शा लटढा) में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। तहसीलदार समदड़ी के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संलग्न नक्शा उक्त आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना
आदेश आज दिनांक **16.08.19** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिवाना
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बड़नेर)

